भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1858**

**28 दिसंबर, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण**

**1858. कुमारी शैलजाः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह जानते हुए कि खासतौर से सूखे की अवधि में, किसानों की 57 प्रतिशत आय उन स्रोतों से होती है जो सीधे खेती से संबंध्ति नहीं होते हैं, तो किसानों की आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार की ग्रामीण इलाकों में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण के लिए कोई कार्य योजना है;

(ग) यदि हां, तो पंजाब सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह कार्य योजना कृषि प्रसंस्करण के लिए दीर्घकालिक अनुबंध खेती को प्रोत्साहित करने में पेप्सिको मॉडल को मानती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

(क) राष्‍ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा जनवरी-दिसंबर, 2013 के दौरान संचालित ‘कृषि परिवारों का स्‍थिति आकलन सर्वेक्षण’ के परिणामों के अनुसार, देश में लगभग 63.5 प्रतिशत कृषि परिवारों ने खेती को अपनी आय का प्रधान स्रोत बताया है। कृषि परिवारों के आय के अन्‍य स्रोत मजदूरी/वेतन भोगी नियोजन, पशुपालन, गैर-कृषि उद्यम, अन्‍य कृषि कार्यकलाप आदि हैं।

कृषि परिवारों के आय आधार के विविधिकरण के लिए, सरकार बागवानी, पुष्‍पकृषि, मधुमक्‍खी पालन, मत्‍स्‍य पालन, कृषि वानिकी आदि पर ध्‍यान केंद्रित करते हुए एकीकृत फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। इस लक्ष्‍य के लिए, अभिमुखी तरीके से विभिन्‍न मिशनों और योजनाओं का कार्यान्‍वयन किया जा रहा है जिनमें एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्‍ट्रीय गोकुल मिशन, राष्‍ट्रीय पशुधन मिशन, नीली क्रांति, राष्‍ट्रीय कृषि वानिकी और बांस मिशन (एनएबीएम) आदि शामिल हैं। इसके अलावा, कृषि श्रमिकों सहित ग्रामीण लागों के लिए नियोजन और आजीविका के अवसर सृजित करने हेतु सरकार महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण नियोजन अधिनियम और अन्‍य योजनाओं का क्रियान्‍वयन कर रही है। इन्‍हें कृषि परिवारों सहित ग्रामीण लागों की आय में वृद्धि करने के लिए तैयार किया गया है।

(ख) से (च) सरकार व्‍यक्‍तियों, किसानों, किसान उत्‍पादक संगठनों (एफपीओ), उद्यमियों, सहकारिताओं, सोसाइटियों, स्‍वयं सहायता समूहों (एसएचजी), निजी कंपनियों और केंद्र/राज्‍य की पीएसयू आदि द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योगों की स्‍थापना के लिए अनुदान सहायता के रूप में पूंजी सब्‍सीडी उपलब्‍ध कराने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, नामत: ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)’ का कार्यान्‍वयन कर रही है। सब्‍सीडी की दर परियोजनाओं के प्रकार और स्‍थान के आधार पर 35 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक है। इस योजना के तहत, पंजाब सहित अन्‍य स्‍थानों पर खाद्य प्रसंस्‍करण इकाईयों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

सरकार ने राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए जाने हेतु मई, 2018 में एक प्रगामी और सुविधाजनक मॉडल अधिनियम ‘‘-------- राज्‍य/संघ शासित प्रदेश कृषि उत्‍पाद और पशुधन संविदा फार्मिंग और सेवाएं (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2018’’ तैयार किया है और जारी किया है। इस अधिनियम को किसानों, व्‍यापार और उद्योग जगत, अर्थशास्‍त्रियों, नीति निर्माताओं आदि सहित विभिन्‍न हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद और पेप्‍सिको मॉडल सहित राष्‍ट्रीय और अंर्तराष्‍ट्रीय सर्वोत्‍तम कार्यप्रणाली की जांच के बाद अंतिम रूप दिया गया है। इस मॉडल अधिनियम में कृषि उत्‍पादन और पशुधन के लिए संविदा सेवाओं सहित, उत्‍पादन पूर्व से लेकर उत्‍पादन के बाद तक के चरणों के लिए पूरी मूल्‍य और आपूर्ति श्रृंखला को सम्‍मिलित किया गया है। इस मॉडल अधिनियम के अधीन संविदा फार्मिंग अग्रिम सहमतियों के माध्‍यम से मूल्‍य जोखिम और बाजार अनिश्‍चितताओं को कम करने में मददगार होगा और कृषि क्षेत्र में निजी उद्यमियों के प्रवेश को प्रोत्‍साहित करेगा।

\*\*\*\*\*